

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2014/ज्येष्ठ 5, 1936

No. 276]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2014/JYAISTHA 5, 1936

रक्षोपाय महानिदेशालय

(सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पादकर)

रक्षोपाय जांच प्रारंभ करने का नोटिस

(सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत)

नई दिल्ली, 26 मई, 2014

विषय : भारत में "सोडियम-डाय-क्रोमेट" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत

सा.का.नि.356(अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष मैसर्स विष्णु कैमिकल्स, फ्लैट संख्या 1, सुवर्णा हाउस, संगीत नगर कालोनी, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 द्वारा एक आवेदनपत्र भारत में सोडियम डायक्रोमेट के संवर्धित आयातों द्वारा की जा रही गंभीर क्षति/की जाने वाली गंभीर क्षति की चुनौती से सोडियम डायक्रोमेट के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए भारत में "सोडियम डायक्रोमेट" के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया गया है।

2. घरेलू उद्योग : यह आवेदनपत्र सोडियम डायक्रोमेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए मैसर्स विष्णु कैमिकल्स, फ्लैट संख्या 01 सुवर्णा हाउस, संगीत नगर कालोनी, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदक भारत में सोडियम डायक्रोमेट के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है।

विचाराधीन उत्पाद : यह आवेदनपत्र सोडियम डायक्रोमेट, जो कि विचाराधीन उत्पाद है, पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 28413000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3. जांच की अवधि (पी ओ आई) : वर्तमान मामला भारत में सोडियम डायक्रोमेट के संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को की गई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के आधार पर एक नया मामला है। इस मामले में जांच की अवधि वर्ष 2010-11 से 2013-14 है।

4. सूचना का स्रोत : विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े जनवरी, 2014 तक डी जी सी आई एंड एस से लिए गए हैं और उन्हीं पर भरोसा किया गया है और विश्लेषण के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए घरेलू आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उनका इस विभाग द्वारा घरेलू उद्योग की विनिर्माण इकाई का स्थल दौरा करके सत्यापन किया गया है। इन सत्यापित आंकड़ों पर ही क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

5. संवर्धित आयात : भारत में सोडियम डायक्रोमेट के आयातों ने भारी वृद्धि प्रदर्शित की है। वर्ष 2010-11 से जनवरी, 2014 तक के लिए सोडियम डायक्रोमेट के आयातों के डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रस्तुत आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	आयात (अनुक्रमित)
2010-11	4765	100
2011-12	5516	116
2012-13	7205	151
2013-14 (जनवरी, 2014 तक)	9503	---
2013-14 (वार्षिकीकृत)	11404	239

यह स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके आयात जो वर्ष 2010-11 में 4765 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में 11404 एमटी हो गए, इस प्रकार आयातों में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

6. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति : आवेदनकर्ता (जिसे एतदपश्चात घरेलू उद्योग कहा गया है) ने दावा किया है कि सोडियम डायक्रोमेट के संवर्धित आयातों ने सोडियम डायक्रोमेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है और वे गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की यह चुनौती आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से स्पष्ट दृष्टिगोचर है जिनका विवरण निम्नलिखित है :

(क) उत्पादन : घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादन में वित्त वर्ष 2012-13 तक कमी आई परंतु इसमें वर्ष 2013-14 में मामूली सी वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग का उत्पादन इंडेक्स जो वित्त वर्ष 2010-11 में 100 था से घटकर वर्ष 2013-14 में 96 हो गया, जैसा नीचे दर्शाया है :

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (एमटी)	उत्पादन अनुक्रमित
2010-11	30407	100
2011-12	30383	100
2012-13	28608	94
2013-14	29128	96

(ख) कुल उत्पाद के संदर्भ में संवर्धित आयात : सोडियम डायक्रोमेट का भारत में आयात कई देशों से और मुख्यतया दक्षिण अफ्रीका रूस एवं कजाखिस्तान से किया जाता है। सोडियम डायक्रोमेट के आयातों में समग्र रूप से और कुल उत्पादन की तुलना में वृद्धि होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वित्त वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के दौरान सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन और उसके आयात का विवरण निम्नलिखित है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि का प्रतिशत
2010-11	4765	42487	11.22
2011-12	5516	42463	12.99
2012-13	7205	39188	18.39
2013-14	11404	39708	28.72

आयात, जो वर्ष 2010-11 में 4765 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) में 11404 एमटी हो गए, जो 139 वृद्धि दर्शाते हैं। कुल उत्पादन के संबंध में आयात वर्ष 2010-11 में 11.22 प्रतिशत था और यह आयात बढ़कर वर्ष 2013-14 में 28.72 प्रतिशत हो गया।

(ग) बाजार हिस्सा और बिक्री के स्तर में परिवर्तन

वित्त वर्ष	आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार में हिस्सेदारी का प्रतिशत	
					घरेलू उद्योग	आयात
2010-11	4765	12138	12080	43320	28	11
2011-12	5516	12846	12080	43499	30	13
2012-13	7205	17151	10580	46148	37	16
2013-14	11404	15780	10580	51355	31	22

घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अभिनव अवधि (वर्ष 2013-14) में तेजी से गिरावट आई है जबकि आयातों की बाजार हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई है। आवेदक का वर्ष 2012-13 में बाजार हिस्सा 37 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2013-14 में केवल 31 प्रतिशत रह गया। उसी अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया। यह स्पष्टतः दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को बिक्री एवं बाजार हिस्से में ध्यान देने योग्य क्षति हुई है, और यह क्षति अभिनव अवधि (वर्ष 2013-14) के दौरान संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

(घ) क्षमता उपयोग : संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की भारी उत्पादन क्षमता निष्क्रिय हो रही है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग स्थित बना रहा जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :

वित्त वर्ष	संस्थापित क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
2010-11	93200	30407	33
2011-12	86000	30383	35
2012-13	86000	28608	33
2013-14	86000	29129	34

(ङ.) : लाभ/हानि : घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तेजी से गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को अब वित्तीय घाटा हो रहा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

क्र.सं.	वर्ष	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	लाभ/हानि	रुपए/किग्रा)	(*.**)	(*.**)	(*.**)	(**.**))
2	अनुक्रमित		-100	-82	-162	-313

(च) मालसूची : बढ़ते आयातों एवं बाजार हिस्से में कमी के मद्देनजर घरेलू उद्योग की मालसूची में भी आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में वृद्धि हुई है। अधोलिखित तालिका मालसूची स्तर को दर्शाती है जिसमें जांच की अवधि के दौरान वृद्धि का साक्ष्य मिलता है जो घरेलू उद्योग की दुर्दशा को प्रदर्शित करता है :

वित्त वर्ष	एमटी
2010-11	429
2011-12	1094
2012-13	851
2013-14	513

(छ) उत्पादकता : जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष	उत्पादन (एमटी)	उत्पादकता प्रतिदिन (एमटी)
2010-11	30407	86.88
2011-12	30383	86.81
2012-13	28608	81.74
2013-14	29129	83.23

(ज) रोजगार :

वित्त वर्ष	संख्या
2010-11	537
2011-12	509
2012-13	491
2013-14	490

जांच की अवधि के दौरान रोजगार ने सतत गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

7. घरेलू उत्पाद ने अपने आवेदनपत्र में भारत में सोडियम डायक्रोमेट के आयातों पर चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का तत्काल अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप होने वाली गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में हुए तीव्र गिरावट के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए भी अनुरोध किया है।

8. इस आवेदनपत्र की जांच की गई है और यह पाया गया कि सोडियम डायक्रोमेट के बढ़ते आयातों के कारण सोडियम डायक्रोमेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की गई है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई है और इस कारण इस मामले की जांच इस नोटिस के जरिए प्रारंभ करने का निश्चय किया गया है।

9. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं :

रक्षोपाय महानिदेशालय
सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पादकर
द्वितीय तल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन

भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट

नई दिल्ली-110001

भारत

टेलीफोन : 011-23741537

फैक्स : 011-23741542

ई-मेल : dgsafeguards@nic.in

10. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी अलग से संबोधित किया जा रहा है।

11. इस जांच का कोई अन्य पक्षकार भी जो अपने को हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने की इच्छा करता है, अपना अनुरोध इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास प्रेषित कर सकता है।

[फा. सं. डी-22011/05/2014]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

(Customs and Central Excise)

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

[Under Rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

New Delhi, the 26th May, 2014

Sub: Initiation of Safeguard Investigation concerning Imports of “Sodium di-chromate” into India.

G.S.R.356 (E).— An application has been filed before me under Rule 5 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, by M/s. Vishnu Chemicals, Flat No 1, Suvarna House, Sangeethanagar Colony, Somajiguda, Hyderabad-500082 for imposition of Safeguard Duty on imports of “Sodium dichromate” into India to protect the domestic producer of Sodium dichromate against serious injury /threat of serious injury caused by the increased imports of Sodium dichromate.

2. Domestic Industry: The application has been filed by M/s. M/s. Vishnu Chemicals, Flat No 1, Suvarna House, Sangeethanagar Colony, Somajiguda, Hyderabad-500082 for imposition of Safeguard Duty on imports of Sodium dichromate. The applicants account for more than 70% of the total production of Sodium dichromate in India.

Product under consideration: The present application is filed for imposition of Safeguard duty on imports of “Sodium dichromate” which is PUC. The product under consideration is classifiable under Customs sub-heading No.28413000

3. Period of investigation (POI): Present application is a fresh case based on serious injury /threat of serious injury to domestic industry caused by increased import of Sodium dichromate into India. The POI in the case has been taken from 2010-11 to 2013-14.

4. Source of information: The import data for the product under consideration has been taken from DGCI&S till January, 2014 and same has been relied upon and taken into consideration for analysis. The domestic data from 2010-11 to 2013-14 has been submitted by the applicant and the same has been verified by on-site visits to the manufacturing units of the domestic industry by the department. The verified data has been taken into consideration for injury analysis.

5. Increased Imports: Imports of Sodium dichromate into India have shown significant increase. The data relating to imports of Sodium dichromate from 2010-11 to Jan 2014 as per DGCIS data, is as under:

Financial Year	Total Import (MT)	Import Indexed
2010-11	4765	100
2011-12	5516	116
2012-13	7205	151
2013-14 (upto Jan 2014)	9503	---
2013-14 (Annualized)	11404	239

It is evident that imports of the product under consideration have sharply increased during the injury period. The imports have increased from 4765 MT in 2010-11 to 11404 MT till 2013-14 (Annualized.) recording an increase of 139 %. Thus, import has increased on absolute basis during the entire period of investigation.

6. Serious Injury to the Domestic industry: The applicants (hereinafter referred to as DI) have claimed that the increased imports of Sodium dichromate have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Sodium dichromate. The threat of serious injury to domestic industry is clearly visible from the data provided by the applicants as detailed below:

a) Production: The domestic production of DI decreased up to FY2012-13, but increased marginally in year 2013-14. The production index of Domestic Industry fell to 96 in 2013-14 from 100 in FY 2010-11, as shown below:

Financial Year	Production (MT)	Production Indexed
2010-11	30407	100
2011-12	30383	100
2012-13	28608	94
2013-14	29128	96

b) Increased Imports w.r.t total production: Sodium dichromate is imported into India from a number of countries, and mainly from. South Africa, Russia and Kazakhstan. The imports of Sodium dichromate have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the total production. The imports and production of Sodium dichromate during financial year 2010-11 to 2013-14 are as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of Increase in import with respect to production
2010-11	4765	42487	11.22
2011-12	5516	42463	12.99
2012-13	7205	39188	18.39
2013-14	11404	39708	28.72

The Imports have increased from 4765 MT in 2010-11 to 11404 MT in 2013-14 (Annualised) which shows an increase of 139%. The import with respect to total production was 11.22 % in 2010-11 and increased to 28.72 % in 2013-14.

c) Market Share & Changes in levels of Sales:

Financial Year	Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers(MT)	Total Demand (MT)	% of Market Share	
					DI	Import
2010-11	4765	12138	12080	43320	28	11
2011-12	5516	12846	12080	43499	30	13
2012-13	7205	17151	10580	46148	37	16
2013-14	11404	15780	10580	51355	31	22

Market share of the DI has declined sharply in the recent period (2013-14) whereas share of the import has increased significantly. Applicant had a market share of 37% in 2012-13, it has declined to 31 % in year 2013-14. During the same period market share of import has increased from 16% to 22%. It clearly shows that the DI suffered noticeable loss in sales as well as market share, caused by increased imports during the recent period (2013-14)

d) Capacity Utilization: The increasing imports are resulting in significant idling of production capacity of the domestic producers. The capacity utilization by the DI has remained constant during period of investigation as can be seen in the Table below:

Financial Year	Installed Capacity(MT)	Production(MT)	Capacity Utilisation (%)
2010-11	93200	30407	33
2011-12	86000	30383	35
2012-13	86000	28608	33
2013-14	86000	29129	34

e) Profit/loss –The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated and the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

Sr.No.	Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	Profit/loss	Rs/Kg	(*,**)	(*,**)	(*,**)	(**,**)
2	Indexed		-100	-82	-162	-313

f) Inventories: In view of surging imports and loss of market share, the inventories with the domestic industry have also increased as compared to base year 2010-11. The table below depicts the inventory levels which have witnessed a surge during period of investigation reflecting the plight of the domestic industry.

Financial Year	MT
2010-11	429
2011-12	1094
2012-13	851
2013-14	513

g) Productivity: The productivity has gone down during the entire period of investigation.. However, DI has witnessed increase in productivity in the year 2013-14.

Financial Year	Production (MT)	Productivity per day (MT)
2010-11	30407	86.88
2011-12	30383	86.81
2012-13	28608	81.74
2013-14	29129	83.23

h) Employment:

Financial Year	Nos
2010-11	537
2011-12	509
2012-13	491
2013-14	490

The employment has shown continuous decreasing trend during the period of investigation period

7. The DI has requested in their application for immediate imposition of Safeguard duty on imports of Sodium dichromate into India for a period of four years. They have also requested for imposition of provisional Safeguard duty in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry due to serious injury and threat to serious injury as a result of increased imports of the product under consideration.

8. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of Sodium dichromate have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producer of Sodium dichromate and as such it has been decided to initiate an investigation in the matter through this notice.

9. All interested parties may make their views known **within a period of 30 days** from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan; 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001,
INDIA.
Telephone: 011- 23741537
FAX: 011-23741542
E-mail: dgsafeguards@nic.in

10. All known interested parties are also being addressed separately.

11. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address **within 15 days** from the date of this notice.

[F. No. D-22011/05/2014]

R.K SINGLA, Director General.